क्रमांक 62/27/88-6 जी0एस0 I

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

दिनांक चण्डीगढ़/ 1988

विषय : गांवों में मन्त्रियों के दौरे पर जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में जनसभायें आयोजित करने के बारे में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रीगण जब भी गांवों के दौरे पर जाते है तो सम्बन्धित विभाग उनकी जनसभायें प्रायः विद्यालयों में आयोजित करते हैं । विद्यालयों में ऐसी जनसभायें आयोजित करने से विद्यालयों की पढ़ाई की हानि होती है तथा शिक्षकों को आवश्यक अवकाश पर रहना पड़ता है । इसको देखते हुए सरकार द्वारा विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में मन्त्रियों के दौरे के समय गांवों में आने वाली जन सभायें विद्यालयों में केवल छुट्टी के दिन ही आयोजित की जायें ताकि विद्यालयों की पढ़ाई में बाधा न पड़े ।

2. यदि ऐसी जनसभाओं का आयोजन छुट्टी के दिन के अलावा किसी अन्य दिन किया जाता है तो इन्हें गांव की चौपाल या अन्य उपयुक्त स्थान पर आयोजित किया जाये ।

3. कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालन की जाये ।

भवदीय,

हस्ता0/

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति सभी वित्तायुक्तों/आयुक्त/सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्तों/आयुक्त/सचिव हरियाणा सरकार ।

अ0शा0 क्रमांक 62/27/88-6 जी0 एस0-I, दिनांक चण्डीगढ़,